सं.39011/05/2012-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 4 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचना प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ किए जाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अधियाचना में कमियों/ विसंगतियों के कारण भर्ती प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) ने साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचना स्वीकार करने के लिए (सं.लो.से.आ. प्रपत्र 33 में) एकल खिड़की प्रणाली में अपनाने का निर्णय लिया है । इस संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग ने अधियाचनाओं में पाई गईं कुछेक कमियों/विसंगतियों के बारे में इच्छुक अधियाचनाकर्त्ता मंत्रालयों/विभागों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था ।

2. इस नई प्रणाली के अंतर्गत अधियाचना भेजने वाले मंत्रालय/विभाग को संलग्न जांच सूची के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के पदनामित अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए तत्काल संवीक्षा हेतु अपने सम्पूर्ण प्रस्ताव (अधियाचना) को निम्नांकित दस्तावेज़ों के साथ दस्ती रूप से लाना अपेक्षित होगा -

(i) तारीख सहित अधिसूचित भर्ती नियम/सेवा नियम

(ii) तारीख सहित भर्ती नियमों/सेवा नियमों में किए गए अद्यतन अधिसूचित संशोधन

(iii) भर्ती नियमों/सेवा नियमों या भर्ती नियमों/सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों से संबंधित अधिनियम तथा विनियम

(iv) भर्ती नियमों/सेवा नियमों में बनाए गए अधिनियम और विनियम में किए अद्यतन संगत संशोधन या सेवा नियमों/भर्ती नियमों में किए गए संशोधन

(v) पद के लिए अनिवार्य/वांछनीय योग्यताओं के समकक्ष मानी जाने वाली "शैक्षिक योग्यताओं" से संबंधित सभी अद्यतन अधिसूचना/अनुदेश। इसका महत्व उस समय है जब अनिवार्य/वांछनीय योग्यताओं के अंतर्गत ''या समकक्ष'' को निर्दिष्ट किया गया हो

(vi) पद के लिए अनिवार्य/वांछनीय योग्यताओं के समकक्ष मानी जाने वाली "विदेशी शिक्षा योग्यताओं" से संबंधित सभी अद्यतन अधिसूचना/अनुदेश। इसका महत्व उस समय है जब अनिवार्य/वांछनीय योग्यताओं के अंतर्गत ''या समकक्ष'' को निर्दिष्ट किया गया हो

(vii) कालानुक्रम में क्रमबद्ध सत्यापित इन्डेक्स सूची, जिसमें उपर्युक्त दस्तावेज़ों का विवरण (तारीख सहित) दिया गया हो ।

3. अब सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने एक प्रतिनिधि को अधिकृत करें जो अवर सचिव स्तर से कम का न हो और वह मिलने के लिए पहले से समय लेकर आयोग कार्यालय में वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो (दूरभाष: 011-23098591 रैक्स.4784) और सभी संगत दस्तावेज़ों/अभिलेखों सहित सब प्रकार से पूर्ण अधियाचना अवर सचिव (आई एफ सी) को सौंप दें । खिड़की पर प्राप्त अधियाचना की सबसे पहले प्रोफार्मा में मांगी गई सूचना और जांच सूची के अनुरूप होने की दृष्टि से जांच की जाएगी । अपूर्ण मामलों को कमियां बताने के पश्चात काउंटर से ही वापस कर दिया जाएगा । केवल उन्हीं मामलों को, जो जांच सूची के अनुसार सब प्रकार से पूर्ण होंगे, आगे की विस्तृत संवीक्षा और जांच के लिए स्वीकार किया जाएगा ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सं.लो.से.आ. द्वारा शुरू की गई उपर्युक्त नई प्रणाली का संज्ञान लें और इसे सभी अधियाचनाकर्ता विभागों के संज्ञान में लाएं । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब भी मंत्रालय/विभाग द्वारा आयोग को साक्षात्कार से चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए अधियाचना प्रस्तुत की जाए, कम से कम अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी आयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए जो अपने साथ उपर्युक्त वर्णन अनुसार सम्पूर्ण मामले के अभिलेख और विधिवत भरे हुए प्रोफार्मा/जांच सूची प्रस्तुत करें ।

(पी.प्रभाकरन)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :

संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/भारतीय निर्वाचन आयोग/भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक/केन्द्रीय सूचना आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

चयन द्वारा भर्ती के लिए अधियाचना- जांच सूची

क्रम सं.	जानकारी प्रदान की जानी है	मद सं.	हां/नहीं
1.	क्या अधियाचना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की गई है ?		हां/नहीं
2.	क्या मूल अधियाचना में हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अधियाचनाकर्ता प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष सं. दर्शाया गया है ?		हां/नहीं
3	क्या अधियाचनाकर्ता प्राधिकारी को सं.लो.से.आ. को सीधे अधियाचना भेजने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है ?	1	हां/नहीं
4.	यदि हां, तो क्या संगत दस्तावेज़/आदेश संलग्न किए गए हैं ?	1	हां/नहीं
5.	क्या भर्ती नियम के अनुसार पदनाम, वेतनमान तथा कुल परिलब्धियां (एचआरए और सीसीए को छोड़कर), ग्रुप एवं सेवा संवर्ग तथा स्वीकृत पदों (स्थायी तथा अस्थायी) की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए अपेक्षित प्रारूप में पद का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ?	2	हां/नहीं
6	क्या अधियाचना की तारीख से एक वर्ष तक विद्यमान रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों को गृह मंत्रालय के दिनांक 10.6.1969 के का.ज्ञा.सं.9/21/68-आर पी एस के साथ-साथ दिनांक 13.3.1969 के का.ज्ञा.सं.23/38/69-स्था.(ख) तथा उनमें/उनके अंतर्गत किए गए अनुवर्ती संशोधन/अनुदेशों को शामिल किया गया है ?	3	हां/नहीं
7.	क्या का.एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 02.07.1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था.(आरईएस) तथा उनमें/उनके अंतर्गत किए गए अनुवर्ती संशोधन/अनुदेशों के अनुसार पद के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के आरक्षण के लिए रोस्टर तैयार किए गए हैं ?	3	हां/नहीं

8.	क्या अधियाचना को सभी सीधी भर्ती रिक्तियों की संवीक्षा के बाद तथा का.एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 16.05.2001 के का.ज्ञा.सं. 2/8/2001-पीआईसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कटौती को लागू करते हुए, यदि रिक्ति के उत्पन्न होने की तारीख 31.3.2009 से पहले की हो, को रखा गया है ?	3	हां/नहीं

9.	क्या अधियाचना में रिक्ति के उत्पन्न होने एवं उनकी उत्पन्न होने की तारीख सहित कारणों को दर्शाया गया है ?	3	हां/नहीं
10	क्या अधियाचना को भेजते समय निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा निशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति को ध्यान में रखा गया है ?	3	हां/नहीं
11.	क्या का.एवं प्रशि. विभाग के का.एवं प्रशि. विभाग में संदर्भित दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा.सं.36035/3/2004-स्था. (आर ई एस) [अधिसूचना सं.16-70/2004 डी डी ।।। दिनांक 18.01.2007, 15.03.2007 पूर्व की का.एवं प्रशि. विभाग में संदर्भित अधिसूचना सं. 16-25/99 एनआई.आई दिनांक 31.05.2001 के अधिक्रमण में है].सं.36035/8/2003-स्था. (आर ई एस), दिनांक 26.04.2006, सं.36035/10/2006-स्था. (आर ई एस) डेस्क दिनांक 12.12.2006, का. एवं.प्रशि. विभाग की का.ज्ञा.सं.36035/2/2012-स्था. (आर ई एस) दिनांक 29.03.2012 के आधार पर तथा उनमें/उनके अंतर्गत किए गए अनुवर्ती संशोधन/ अनुदेशों के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उपयुक्तता एवं आरक्षण पर विचार किया गया है/ तैयार किया गया है ?	3	हां/नहीं

12.	यदि रिक्तियां अस्थायी आधार पर अधियाचित की जा रही हैं तो क्या गृह मंत्रालय के दिनांक 08.06.1967 के का.ज्ञा.सं.एफ-2/4/67-स्था.(ख) एवं उसमें किए गए/उसके अंतर्गत किए गए अनुवर्ती संशोधन/अनुदेश के अनुसार ऐसी रिक्तियां तीन वर्षों से अधिक अवधि तक विद्यमान रहेगी ?	4	हां/नहीं
13.	क्या अदालती मामलों/ मुकदमों/निर्णयों का विवरण, उसके प्रभाव सहित, यदि कोई हो, दिया गया है?	5	हां/नहीं
14.	क्या नोट के अंतर्गत यह प्रमाणित किया गया है कि अधियाचना को भेजे जाने के बाद उठे अदालती मामले, यदि कोई हों और अधियाचना को भेजे जाने पर उन अदालती मामलों के अधियाचना पर पड़ने वाले प्रभाव के विवरण को तत्काल तथा अविलम्ब आयोग को संसूचित किया जाएगा ?	5	हां/नहीं
15.	क्या भर्ती नियम/सेवा नियम अर्थात अधिसूचना, संवीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया है?	6 एवं 7	हां/नहीं
16	क्या अधिसूचित भर्ती नियम/सेवा नियम की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है ?	6	हां/नहीं
17.	क्या भरी जाने वाली रिक्तियां अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आती हैं ?	8	हां/नहीं
18.	क्या यदि सीधी भर्ती के लिए वर्तमान अधियाचना भर्ती के किन्ही अन्य तरीकों के असफल होने के करण हैं? क्या सीधी भर्ती का प्रयोग करने के लिए मंत्रालय/विभाग को दी गई आयोग के परामर्श की संदर्भ सं. एवं तारीख को दर्शाया गया है और उक्त की प्रति संलग्न की गई है ?	9	हां/नहीं
19.	क्या अधिसूचित भर्ती नियम/सेवा नियम के अनुसार अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता के विवरण को स्पष्ट एवं व्यापक तरीके से तैयार किया	10	हां/नहीं

	गया है ?		
20.	यदि उपर्युक्त दर्शाई गई शैक्षिक योग्यता में "या समकक्ष" शब्द को शामिल किया गया है तो क्या समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं की सम्पूर्ण सूची को आयोग के परामर्श से उपलब्ध कराया गया है ?	10	हां/नहीं
21.	यदि उपर्युक्त निर्दिष्ट अनुभव संबंधी योग्यता साफ/स्पष्ट नहीं है या उल्लिखित नहीं है या विशिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रों) में स्पष्ट रूप से विहित नहीं है जिनमें कि अनुभव अपेक्षित है, तो क्या उक्त को आयोग के परामर्श से साफ एवं स्पष्ट रूप से पुन: वर्णित किया गया है ?	10	हां/नहीं
22.	क्या उक्त विषय पर आयु सीमा तथा छूट अधिसूचित भर्ती नियम/सेवा नियम तथा भारत सरकार के वर्तमान अनुदेश के अनुसार है ?	11	हां/नहीं
23.	यदि किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों/विशेष परिस्थिति/अदालती मामले के अंतर्गत आयु में छूट को निर्दिष्ट किया गया है तो क्या का. एवं प्रशि. विभाग/गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त करने तथा आयोग से पूर्व परामर्श प्राप्त करने संबंधी नोट/पत्राचार/निर्णय की प्रतियां संलग्न की गई हैं ?	11	हां/नहीं
24.	क्या उक्त विषय पर परिवीक्षा की अवधि, तैनाती का स्थान तथा अन्य विवरण आदि अधिसूचित भर्ती नियम/सेवा नियम तथा भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप है ?	12 एवं 14	हां/नहीं
25.	क्या ड्यूटी जो 40 शब्दों से अधिक न हो, को संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है ?	13	हां/नहीं
26.	क्या किसी अन्य भर्ती या भर्ती पर जानकारी जिसे उपर्युक्त के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, यदि कोई हो, दी गई है ?	16	हां/नहीं
27.	यदि समरूप पदों के लिए पहले ही सीधी भर्ती की गई है, क्या आयोग (निष्फल मामलों को शामिल करके) के संदर्भ और अद्यतन सूचना की तारीख को निर्दिष्ट किया गया है ?	17	हां/नहीं

28.	यदि वर्तमान अधियाचना पूर्व अधियाचना से छह माह के भीतर की है तो क्या संतोषजनक कारण (णों) को दर्शाया गया है ?	17	हां/नहीं
29.	क्या मंत्रालय के प्रतिनिधि के नाम, पता एवं दूरभाष सं. जिससे प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर चर्चा की जानी है, को निर्दिष्ट किया गया है ?	18	हां/नहीं
30.	क्या खंड जो लागू नहीं है को काट दिया गया है ?	19	हां/नहीं
31.	क्या का.एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ (अब पुन: प्रशिक्षण एवं पुनर्तैनाती प्रभाग नाम लिया गया है) और महानिदेशक (पुनर्वास), रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है तथा इस अधियाचना के अनुबंध में रखा गया है ?	19	हां/नहीं
32.	क्या अधियाचना के साथ सभी अपेक्षित संगत प्रमाणपत्रों को संलग्न किया गया है /	19	हां/नहीं
33.	क्या अधिकारी का नाम जो संबंधित संयुक्त सचिव/अपर सचिव के स्तर के नीचे के अधिकारी न हो, जिसने अधियाचना को अनुमोदित किया है, का उल्लेख किया गया है ?	19	हां/नहीं

<u>अनुबंध</u>

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों की उपयुक्तता/आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिए जाते हैं :-

नोट: निशक्तता की डिग्री 40% और उससे अधिक । इसके अतिरिक्त पद शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षित हो सकता है यदि उक्त पद शारीरिक रूप से विकलांग के लिए उपयुक्त है ।

क) रिक्तियों की संख्या: क्षैतिज आरक्षण

क्षैतिज आरक्षण		स्थायी		अस्थायी		कुल	
शारीरिक विकलांगता	अस्थि विकलांगता						
	दृष्टि बाधित						
	श्रवण बाधित						

ख) शारीरिक अपेक्षाएं

क्रम सं.	शारीरिक अपेक्षाएं	हां/नहीं
i)	एम एफ-अंगुलियों द्वारा परिचालन से कार्य निष्पादित कर सकते हैं	

ii)	पी पी- खींचकर तथा धकेलकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
Iii)	एल- उठाकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
iv)	के सी- घुटनों के बल बैठकर तथा झुककर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
v)	बी एन- झुककर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
vi)	एस- बैठकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
vii)	एस टी- खड़े होकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
viii)	डब्ल्यू- चहलकदमी करते हुए कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
ix)	एस ई- देखकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
x)	एच- सुनकर/बोलकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
xi)	आर डब्ल्यू- पढ़कर तथा लिखकर कार्य निष्पादित कर सकते हैं	
xii)	सी- सम्प्रेषण द्वारा	

ग) प्रकार्यात्मक वर्गीकरण

शारीरिक विकलांग की श्रेणी	शारीरिक विकलांग उप-श्रेणी	उपयुक्तता	आरक्षण

			(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
अस्थि विकलांग या चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	बी एल- दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं			
	बी ए- दोनों हाथ प्रभावित	कमज़ोर पहुंच		
		क्षीण पकड़		
	ओ एल- एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)	कमज़ोर पहुंच		
		क्षीण पकड़		
		गति विभ्रम		
	ओ ए- एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)	कमज़ोर पहुंच		
		क्षीण पकड़		
		गति विभ्रम		
	बी एच – सख्त पीठ एवं कूल्हे (बैठ या खड़े नहीं हो सकते			
	बी एल ए – दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित			
	एम डब्ल्यू – मांसपेशीय कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति			

	ओ एल ए – एक पैर और एक हाथ प्रभावित	एक पैर (दायां या बायां)	कमजोर पहुंच		
			क्षीण पकड़		
			गति विभ्रम		
		एक हाथ (दायां या बायां)	कमजोर पहुंच		
			क्षीण पकड़		
			गति विभ्रम		
दृष्टिहीन या क्षीण दृष्टि	बी- दृष्टिहीन				
	पी बी- आंशिक दृष्टिहीन				
श्रवण बाधित	डी- बधिर				
	पी डी- आंशिक बधिर				

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि :-

- अधियाचना को भेजते समय निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा निशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है ।

- का.एवं प्रशि. विभाग में संदर्भित का.ज्ञा.सं.36035/3/2004-स्था. (आर ई एस) दिनांक 29.12.2005 [अधिसूचना सं.16-70/2004 डी डी ।।। दिनांक 18.01.2007, 15.03.2007, 22.03.2007 पूर्व की का.एवं प्रशि. विभाग में संदर्भित अधिसूचना सं. 16-25/99 एनआई.। दिनांक 31.05.2001 के अधिक्रमण

में है जो का.ज्ञा.सं.36035/8/2003-स्था. (आर ई एस), दिनांक 26.04.2006 में संदर्भित है], सं.36035/10/2006-स्था. (आर ई एस) डेस्क दिनांक 12.12.2006 के आधार पर तथा उनमें/उनके अंतर्गत किए गए अनुवर्ती संशोधन/ अनुदेशों के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उपयुक्तता एवं आरक्षण पर विचार किया गया है/ तैयार किया गया है ?

*i) कि इस अधियाचना के अंतर्गत -------------------------------- के पद की पहचान की गई है जिसे शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है । इस अधियाचना में रिपोर्ट की गई रिक्तियां 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के क्रम सं. ------------- के बिंदु सं.-------------------------- के अंतर्गत आती हैं जिनमें से -------------- की संख्या में रिक्तियां निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों (अर्थात शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त एवं आरक्षित है) के लिए आरक्षित है ।

अथवा

*ii) कि इस अधियाचना के अंतर्गत ------------------------------------ के पद की पहचान की गई है जिसे शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है । कोई भी प्रस्तावित रिक्तियों को चिन्हित नहीं किया गया है जो निशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित है (अर्थात पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त है लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है) ।

अथवा

*iii) कि ------------------------------------ पद के लिए की गई अधियाचना की पहचान की गई है जिसे शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है (पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए न तो उपयुक्त है न ही आरक्षित है) ।

अथवा

*iv) कि वह एजेंसी, जिसके लिए---------------------------- अधियाचना भेजी जा रही है, निशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों से छूट प्राप्त है ।

[* वे खंड जो लागू नहीं हो उन खंडों को काट दें]

****